



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 743]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2019/ पौष 3, 1941

No. 743]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2019/ PAUSHA 3, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2019

सं. 04/2019-स्वापक नियंत्रण-1

**सा.का.नि. 950(अ).**—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 753(अ), दिनांक 01/10/2019 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना सं. सा.का.नि. 753(अ) दिनांक 01/10/2019 में पैरा 2 में, उप पैरा(i) को हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण को 4.5 के स्थान पर 4 से प्रतिस्थापित किया जाए।

[ फा. सं. 14011/01/2019-एन.सी.-1 (भाग-II)]

दिनेश बौद्ध, निदेशक (स्वापक नियंत्रण)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2019

No. 04/2019-Narcotics Control-1

**G.S.R. 950(E).**—In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby makes following amendment in the Government of India, 6619 GI/2019

Ministry of Finance, Department of Revenue, Notification No. G.S.R. 753(E) dated 01/10/2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), namely:—

1. In the said notification No. G.S.R 753(E) dated 01/10/2019, para 2, Sub-para (i) of Hindi version and English version, for the figure “4.5”, the figure “4.0” shall be substituted.

[F. No. 14011/01/2019-NC-1 (pt.-II)]

DINESH BOUDDH, Director (N. C.)